न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 04 / 2023
जीसीएमएस नं. :– 2023 / 07

प्रार्थी :–
सुन्दरलाल जोशी पुत्र मदनलाल
जाति ब्राह्मण निवासी खुड़ेचा
तहसील पीपाड़ शहर जिला
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–
सरकार जरिये तहसीलदार
पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अधिवक्ता प्रार्थी।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

दर्ज तारीख :– 02.01.2023

आदेश

दिनांक : 11.02.2023

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम खुड़ेचां की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या नया 85 व पुराना 63 के खसरा नम्बर 132 क्षेत्रफल 1.5937 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खाता संख्या नया 27 व पुराना 23 के खसरा नम्बर 129 क्षेत्रफल 4.1340 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खाता संख्या नया 86 व पुराना 36 के खसरा नम्बर 19 क्षेत्रफल 1.2216 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय व खाता संख्या नया 46 व पुराना 36 के खसरा नम्बर 19 / 1 क्षेत्रफल 0.00081 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बैरा की भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबुत मे नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता मदनलाल की खातेदारी कब्ज़ा काश्त की भूमि रही है उनले देहान्त पश्चात जाइन्दा पुत्रियां, पत्नि व पुत्रों के नाम खातेदारी में इन्द्राज हुई। स्व. मदनलाल का विरासत का नामान्तरकरण भरते समय प्रार्थी का नाम घरेलू बोलचाल वाला नाम श्यामलाल पुत्र मदनलाल दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम सरकारी रेकर्ड में सुन्दरलाल जोशी पुत्र मदनलाल है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात विरासत का नामान्तरण करते समय हल्का पटवारी ने प्रार्थी का नाम घरेलु बोलचाल वाला श्यामलाल इन्द्राज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम सुन्दरलाल जोशी है प्रार्थी के नाम से बने परिचय पत्र, आधार कार्ड, पत्र राशन कार्ड व अन्य दस्तोवजों मे प्रार्थी का नाम सुन्दरलाल जोशी पुत्र मदनलाल है। वादग्रस्त आराजी में हल्का पटवारी ने गलती से घरेलू बोलचाल वाला नाम इन्द्राज कर दिया जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाने का

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला रेकर्ड दुरुस्ती का है हल्का पटवारी ने गलती से त्रुटि वश प्रार्थी का घरेलू बोलचाल वाला नाम श्यामलाल इन्द्राज कर दिया जिसको प्रार्थी दुरुस्त करवा कर सही नाम सुन्दरलाल जोशी पुत्र मदनलाल इन्द्राज करवाने का अधिकारी है इस पर यह प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरुस्ती का पेश है। प्रार्थी को पूर्व में राजस्व रेकर्ड की जानकारी नही रही हाल ही मे प्रार्थी को जानकारी होने पर उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। वादग्रस्त आराजी ग्राम खुड़ेचा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे स्थित होने से प्रार्थना पत्र सुनने का श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है ।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम खुड़ेचा की सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 132 क्षेत्रफल 1.5937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 क्षेत्रफल 4.1340 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 19 क्षेत्रफल 1.2216 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 19/1 क्षेत्रफल 0.0081 हैक्टेयर भूमि का रेकर्ड दुरुस्त फरमाया जाकर श्यामलाल पुत्र मदनलाल के स्थान पर सुन्दरलाल जोशी पुत्र मदनलाल इन्द्राज करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमायें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम खुडेचा की राजस्व सीमा में जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 85 खसरा नम्बर 132, खाता सं. 27 खसरा नम्बर 129, खाता सं. 86 खसरा नम्बर 19 खाता सं. 48 खसरान नम्बर 19/1 प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि दर्ज हैं। उक्त खाता/खसरान में प्रार्थी का नाम श्यामलाल पुत्र मदनलाल दर्ज हैं। प्रार्थी के पिता मदनलाल का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय घरेलु बोलचाल की भाषा अनुसार प्रार्थी का नाम श्यामलाल दर्ज हुआ। जबकि प्रार्थी के दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पहचानपत्र व राशनकार्ड आदि में सुन्दरलाल जोशी पुत्र मदनलाल दर्ज हैं। प्रार्थी के सही नाम के सम्बन्ध में मजमेआम पुछताछ की गई जिसमें पाया कि श्यामलाल व सुन्दरलाल एक ही व्यक्ति हैं। प्रार्थी का सही नाम सुन्दरलाल जोशी पुत्र मदनलाल हैं। त्रुटिवंश प्रार्थी का नाम श्यामलाल पुत्र मदनलाल दर्ज हुआ । अतः प्रार्थी का नाम दस्तावेजो के आधार सुन्दरलाल जोशी पुत्र मदनलाल सही दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी की माता द्वारा न्यायालय में शपथ पत्र पेश किया गया।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम खुड़ेचा की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 132 क्षेत्रफल 1.5937 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 129 क्षेत्रफल 4.1340 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 19 क्षेत्रफल 1.2216 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीयखसरा नम्बर 19/1 क्षेत्रफल 0.00081 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बैरा की भूमियां आई हुई है। जिसमें पटवारी द्वारा विरासत का नामान्तकरण भरते समय घरेलु बोलचाल की भाषा में सुन्दरलाल जोशी पुत्र मदनलाल के स्थान पर

ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

श्यामलाल पुत्र मदनलाल दर्ज कर दिया गया हैं जो सही नही है जिसे दुरूस्त कराये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार ने भी इस सम्बन्ध में अनापति जाहिर की हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खुड़ेचा की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 132, 129, 19, 19/1 में दर्ज नाम श्यामलाल पुत्र मदनलाल के स्थान पर सुन्दरलाल जोशी पुत्र मदनलाल दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर